

अनुमति की शर्तें ।

- (i) एकल भवन / पुस्तकालय के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व विद्या नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (व्यापिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करती ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नक्शों के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त हो जा सकती है ।

एकल खड़े की केवल आवासीय मधोबनार्थ
कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 164 दिनांक 09/07/2019

प्राणी सुधेन्द्र बैनिवाल 310 sq ft जोकेशम बैनिवाल

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2008

धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश

कल स्वनिर्धारण राशि रुपये 12,200/- प्रमा

जरिये रसीद संख्या 1021/6200, 6201

दिनांक 09/07/19 को जमा करा दी है ।

P.003 सी-2 का भाग
 12 व 13 ए महावीर
 कोलोनी शान्तिनगर

09/07/19

सहायक नगर नियोजक
 नगर निगम, जोधपुर

Rüme
09/07/19
9414 (9238)

जी 21
 आवासीय